(19)

अड्डा मार्ग (व्ही.आई.पी. मार्ग) एवं उससे जुड़ने वाले अन्य मार्गों पर पूर्णतः तथा विधान सभा मार्ग पर, शंकरनगर चड्डी रेल्वे लाईन के पश्चात मार्ग के दोनों ओर 100 मीटर गहराई तक मल्टीप्लेक्स एवं सितारा होटल स्वीकार्य नहीं होंगे." को शामिल करते हुए पढ़ा जावे.

रायपुर दिनांक 27 अप्रैल 2006

क्रमांक 9-85/32/2005.—छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) की धारा-13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण नियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम-5 के उप नियम (7) के खंड (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (चार) अंतः स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(चार) ऐसी गैर आवासीय सम्पत्तियां जो सामाजिक, धार्मिक अथवा सांस्कृतिक प्रयोजन की हो तथा ऐसे शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय (नर्सिंग होम को छोड़कर) एवं धर्मशाला जो लाभ अर्जन के लिए स्थापित न हो, के अनाधिकृत विकास के प्रत्येक प्रकरण में शास्ति नियम 5 के उप नियम (7) के खंड (दो) एवं (तीन) के अधीन दी गयी शास्ति की अनुसार प्राक्कलित राशि का 50 (पचास) प्रतिशत होगा."

Raipur, the 27th April 2006

No. F-9-85/32/2005.—In exercise with the powers conferred by section 13 of Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002), the State Government hereby makes following amendment in the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Niyam, 2002, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

After clause (iii) of sub rule (7) of rule 5, the followig clause (iv) shall be inserted namely :—

"(iv) For such non residential properties which are of social, religious or cultural use and such educational institutions, hospital (excluding nursing homes) and Dharmashalas which are not established for making profits, penalty for un-authorised development in each such cases shall be 50 (fifty) percent of the estimated amount of penalty given under clause (ii) and (iii) of sub-rule (7) of rule 5."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

Scanned by CamScanner